न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या— 21/2011—12 अन्तर्गत धारा—219 भू—राजस्व अधिनियम।

नगर निगम, हरिद्वार

—बनाम—

श्री महेश कुमार आदि

उपस्थितिः श्री सुनील कुमार मुद्दू, आई0ए0एस0 अध्यक्ष

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री एस0पी0 त्यागी।

अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री ललित कुमार उपाध्याय।

बावत

भूमि स्थित मौजा चाकलान कस्बा ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

निर्णय

यह निगरानी नगर निगम हरिद्वार द्वारा उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या—66/2011—12 अन्तर्गत धारा—33/39 भू—राजस्व अधिनियम शोभावती बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 18—08—2012 के विरूद्व इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि अवर न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या—4 व 5 को आदेश दिनांक 18—08—2012 से पक्षकार बनाया है जिसका विरोध निगरानीकर्ता की ओर से आपत्ति पत्र दिनांक 30—05—2012 के द्वारा किया गया। अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 18—08—2012 क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में श्रीमती शोभावती विधवा स्व0 दामोदर दास, निवासी मोहल्ला चाकलान कस्बा ज्वालापुर द्वारा मुख्तारेआम श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व0 दामोदर दास ने अतिरिक्त परगनाधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूडकी स्थान हरिद्वार के न्यायालय में दुरस्ती प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—33/39 भू—राजस्व अधिनियम दिनांक 17—5—83/20—5—83 प्रस्तुत किया। परगनाधिकारी, हरिद्वार ने तहसीलदार से आख्या प्राप्त कर उभयपक्षों की सुनवाई के पश्चात आदेश दिनांक 02—02—88 से विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश के विरूद्व नगर पालिका ने अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के न्यायालय में निगरानी योजित की जो आदेश दिनांक 26—04—90 से निरस्त हुई जिसके विरूद्व निगरानी राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश में योजित हुई जो निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात न्यायालय मुख्य राजस्व आयुक्त को हस्तान्तरित हुई। उभयपक्षों की सुनवाई के पश्चात विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 27—08—2008 से निगरानी स्वीकार कर अवर न्यायालयों के आदेश दिनांक 02—02—88 एवं 26—04—90 निरस्त करते हुए वाद विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण

न्यायालय में वाद की कार्यवाही के दौरान उत्तरदाता संख्या–3 व 4 में दिनांक 07–05–2012 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम–10 व धारा–151 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया जिसे उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार ने अपने आदेश दिनांक 18–08–2012 से स्वीकार किया गया जिसके विरूद्व नगर निगम, हरिद्वार ने यह निगरानी योजित की है।

निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि परीक्षण न्यायालय में सुनवाई गतिमान हुई तो मृतक शोभावती वादी के वारिसान प्रेम कुमार आदि में से कोई उपस्थित नहीं हुए। मृतक प्रेम कुमार मुख्तयार आम की हैसियत से श्री सोम सिंह चौहान वाद में उपस्थित हुए। तदन्तद प्रत्यर्थी संख्या–4 व 5 ने पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका विरोध निगरानीकर्ता ने आपत्ति दिनांक 30–05–2012 द्वारा किया। अवर न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश दिनांक 18–08–2012 पारित किया गया है।

प्रतिउत्तरदाता अधिवक्ता का कथन है कि अपर मुख्य राजस्व आयुक्त के समक्ष विचाराधीन निगरानी संख्या–55/2002–03 नगर पालिका समिति, हरिद्वार बनाम प्रेम कुमार आदि में प्रतिउत्तरदातागण को पक्षकार नहीं बनाया गया था जबकि विवादित भूमि पर उनका हक निहित था। अपर मुख्य राजस्व आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 27–08–2008 से निगरानी स्वीकार कर वाद विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया था जिसके उपरान्त विचारण न्यायालय में प्रतिउत्तरदातागण ने पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार ने अपने आदेश दिनांक 18–08–2012 से स्वीकार कर लिया। अधिवक्ता उत्तरदाता ने यह भी तर्क दिया कि वाद अभी विचारण न्यायालय में विचाराधीन है और नगर निगम द्वारा अन्तरिम आदेश के विरूद्व निगरानी योजित की है जिसके कारण विचारण न्यायालय में गतिमान वाद की कार्यवाही लम्बित हो गई है। निगरानीकर्ता द्वारा अन्तरिम आदेश के विरूद्व निगरानी योजित की है जो पोषणीय नहीं है तथा अभी अवर न्यायालय में पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है।

उभयपक्षों को सुना गया एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का परिशीलन किया गया। यह स्पष्ट है कि विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 27–08–2008 से उनके समक्ष विचाराधीन निगरानी को विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था और विचारण न्यायालय में वाद की कार्यवाही के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–3 व 4 ने वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 07–05–2012 अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया था जिसे विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार ने अपने आदेश दिनांक 18–08–2012 से इस आधार पर स्वीकार किया प्रश्नगत सम्पत्ति में प्रार्थीगण का हित निहित है और वाद में पैरवी किए जाने हेतु उन्हें

पक्षकार बनाया जाना उचित है। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। यह भी उल्लेखनीय है कि विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–08–2012 से मात्र प्रतिउत्तरदातागण को वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तरिम आदेश है और अन्तरिम आदेश के विरूद्व निगरानी विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। पक्षकारों को अभी अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः अन्तरिम आदेश के विरूद्व निगरानी पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता की निगरानी में ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं है जिसके कारण निगरानी स्वीकार की जा सके।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

स्थानः देहरादून
दिनांक 30 जनवरी, 2014

(सुनील कुमार मुदगल)
अध्यक्ष।
राजस्व परिषद।